

संयुक्त स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (दिनांक 07.01.2021)

प्रस्तावित परियोजना इस प्रभाग के अन्तर्गत बेलरायों-पनवारी मार्ग (एस0एच0-21) किमी0 नं0-24 (चैनेज संख्या-23.410 से 23.445) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या-407 स्थित ग्राम बरोठा, तहसील व थाना निघासन जिला खीरी (उ0प्र0) में स्थापित होना प्रस्तावित है। प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश/निकास मार्ग में 0.086211 हे0 संरक्षित वन भूमि प्रभावित है, जिसका याचक विभाग के डीलर के साथ दिनांक 07.01.2021 को संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया। प्रस्तावित भूमि न्यूनतम है तथा कोई पेड़ प्रभावित नहीं है।

इस वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश/निकास मार्ग में 0.086211 हे0 संरक्षित वन भूमि हस्तांतरण प्रस्तावित है। बेलरायों-पनवारी मार्ग की दोनो पटरियों भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित है।

अतः प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश/निकास मार्ग में प्रभावित होने वाली उक्त संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा मांग न्यूनतम पायी गयी।



E:\Node 4\VFC\2020-21\Site Inpection.doc


क्षेत्रीय वन अधिकारी
दक्षिण निघासन रेंज
उत्तर खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर-खीरी


प्रभागिय वन अधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी